रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199
No. 19]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12, 1937	[N.C.T.D. No. 199

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

फा. सं. 23/(13)/डी. ई./आरटीई/2012/423–437.—दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 की धारा 20 के साथ पठित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 की उप धारा (क) के खंड (ii) के उपखंड (ख) के साथ पठित धारा 24 की उप धारा (3) तथा 38 की उप धारा (2) के खंड (ढ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन राजकीय/सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी (शिक्षण/गैर शिक्षण) की शिकायतों के निवारण के लिये निम्न प्रणाली सूत्रित करते हैः–

1. **स्कूल स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति :**

कोई कर्मचारी सदस्य, यदि असंतुष्ट है तो वह स्कूल प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष वाली, जो उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, स्कूल कर्मचारी शिकायत निवारण समिति को लिखित में शिकायत करेगा। समिति के अन्य सदस्यों में स्कूल प्रबंधन समिति के शिक्षक संयोजक, स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रमुख, स्कूल प्रबंधन समिति के दो अभिभावक सदस्य तथा इस उद्देश्य के लिये स्कूल के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक स्टाफ प्रतिनिधि होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो, अन्यथा इस वर्ग से संबंधित सदस्य को स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति से लिया जा सकता है। यद्यपि यह समिति कर्मचारी की उन शिकायतों पर विचार नहीं करेगी, जो स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रमुख के विरूद्ध हों। समिति इसके सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेगी। इस आशय का एक लिखित आदेश इस अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। यदि शिकायत का कोई भी पक्ष स्कूल कर्मचारी शिकायत निवारण

समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह/वे जोन स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता/सकते है।

2. **जोन स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति :**

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु जोन स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति होगी, जिसमें उप शिक्षा निदेशक (जोन), अध्यक्ष के रूप में, पर्यवेक्षक शारीरिक शिक्षा (जोन), तथा उस जोन के विभिन्न स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों में से तीन सदस्य होंगे, जो स्कूल के कर्मचारी नहीं है। यदि समिति के सदस्यों मे कोई सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है, उस स्थिति में अध्यक्ष इस वर्ग से संबंधित एक अन्य सदस्य को शामिल कर सकता है जो उस जोन में आने वाले स्कूलों का प्रधानाचार्य या उप–प्रधानाचार्य होगा। यदि कर्मचारी की शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रमुख के विरूद्ध है तब उसे जोन स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष सीधे दायर किया जायेगा। यह समिति अपील पर एक महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगी और उस अवधि में जिला उप शिक्षा निदेशक द्वारा इस आशय का स्पष्ट आदेश पारित किया जायेगा। यदि कोई पक्ष जोन स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह जिला स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

3. **जिला स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति :**

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु जिला स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति होगी, जिसमें जिला उप शिक्षा निदेशक, अध्यक्ष, जिला सहायक शिक्षा निदेशक (प्रशा.) तथा जिला लेखाधिकारी या जिला सहायक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। यदि समिति के सदस्यों में कोई सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है उस स्थिति में अध्यक्ष इस वर्ग से संबंधित एक अन्य सदस्य को शामिल कर सकता है जो उस जिला में आने वाले स्कूलों का प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य होगा। यह समिति अपील पर एक महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगी और उस अवधि में जिला उप शिक्षा निदेशक द्वारा इस आशय का स्पष्ट आदेश पारित किया जायेगा।

4. **क्षेत्रीय निदेशक स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति :**

यदि संबंधित पक्ष जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्षेत्रीय निदेशक स्तरीय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील कर सकता है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, अध्यक्ष तथा सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, द्वारा मनोनीत दो सदस्य होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों में से हो। समिति मामले का समाधान एक माह के भीतर करेगी।

यह माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डॉ. आशिमा जैन, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2016

F. No. 23/(13)/DE/RTE/2012/423-437.—In exercise of the powers conferred under clause (n) of sub-section (2) of section 38 and sub-section (3) of section 24 read with sub-clause (B) of clause (ii) of sub-section (a) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), read with rule 20 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby formulates **the mechanism for redressal of grievances of staff (teaching/non-teaching)**

working in the Government/Aided schools under Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi under the said Act, as under:-

1. **School Level Staff Grievance Redressal Committee:**

Any staff member, if aggrieved, shall make a written complaint to the School Staff Grievance Redressal Committee consisting of Vice-Chairperson of School Management Committee who shall act as the Chairperson of the said committee. Other members of the committee would be the teacher convenor of School Management Committee, Principal/Head of School, two parent members of School Management Committee and one staff representative elected by the staff of the school for this purpose. It should be ensured that one of the members of this committee belongs to Scheduled Caste category; otherwise another member belonging to this category may be co-opted from the School Management Committee of the school. However, this committee would not deal with the grievance of the staff which is against the Principal/Head of School. This committee would resolve the grievance within fifteen days of receiving it after hearing all the parties involved. A written order to this effect shall be issued within this period. If any party to the grievance is not satisfied with the decision of the School Staff Grievance Redressal Committee, he/she/they may file an appeal before the Zonal Level Staff Grievance Redressal Committee.

2. **Zonal Level Staff Grievance Redressal Committee:**

For redressal of grievances of staff there shall be a Zonal Level Staff Grievance Redressal Committee consisting of Zonal Deputy Director of Education as the Chairperson and Supervisor Physical Education (Zone) and three members from amongst the School Management Committee members of different schools from that zone, who are not employees of the schools as members of the said committee. If none of the members of this committee belongs to Scheduled Caste Category, then another member belonging to this category may be co-opted by the Chairperson from among the Principals or Vice-Principals of schools under that Zone. If the grievance of the staff is against a Principal/Head of School, then the same would be filed directly before the Zonal Level Staff Grievance Redressal Committee. This committee would decide upon the appeal within a period of one month and a speaking order to that effect would be passed by the Zonal Deputy Director of Education. If any party is not satisfied with the decision of Zonal Level Staff Grievance Redressal Committee, it may prefer an appeal to the District Level Staff Grievance Redressal Committee.

3. **District Level Staff Grievance Redressal Committee:**

For redressal of grievances of staff, there shall be a District Level Staff Grievance Redressal Committee consisting of District Deputy Director of Education as Chairperson, District Assistant Director of Education (Administration) and District Accounts Officer or District Assistant Accounts Officer as members. If none of the members of this committee belongs to Scheduled Caste Category, then another member belonging to this category may be co-opted by the Chairperson from among the Principals or Vice-Principals of schools under that District. This committee would decide upon the appeal within a period of one month within which time a speaking order to that effect would be passed by the District Deputy Director of Education.

4. **Regional Director Level Staff Grievance Redressal Committee:**

If the parties are not satisfied with the decision of the District Level Grievance Redressal Committee, he/she/they may file an appeal against the same before the Regional Director Level Staff Grievance Redressal Committee consisting of the concerned Regional Director of Education as Chairperson and two members nominated by Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi from amongst the

persons who have been working in the field of education. The committee shall resolve the matter within a period of one month.

This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

Dr. ASHIMA JAIN, Addl. Secy. (Education)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2016

सं.फा. 3/352/नीति/वैट/2013/1395-1405.—अधिसूचना संख्या फा. 3/352/नीति/वैट/2013/1210–21 दिनांक 31/12/2015 के आंशिक संशोधन में, जो कि प्रपत्र डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित थी, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप धारा (1) के साथ पठित उप धारा (2) व (3) तथा धारा 59 की उप–धारा (2) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करता हूँ कि डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना दिनांक 29.02.2016 तक प्रस्तुत की जायेगी ।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी ।

एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 1st February, 2016

No.F.3(352)Policy/VAT/2013/1395-1405.—In partial modification of Notification No. F. 3(352) Policy/VAT/2013/1210-21 dated 31/12/2015 regarding submission of information online in Form DP-1, I, S.S.Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section(1) read with sub-section (2) and (3) of section 70 and sub-section (2) of section 59 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, notify that the Form DP-1 shall be submitted online by all the dealers latest by 29.02.2016.

Rest of the contents of the above said Notifications shall remain the same.

S. S.YADAV, Commissioner,Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.